[2018] 4 एस. सी. आर. 373

एक्स नेवी डायरेक्ट एंट्री आर्टिस्ट्स एसोसिएशन

& ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2014 की सिविल अपील संख्या 6785)

08 मई, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सशस्त्र बलः

नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964-शासन। 78 और नौसेना के 269 प्रत्यक्ष प्रवेश कारीगर-पेंशन पेंशन का अधिकार -

15 साल की न्यूनतम सेवा प्रदान करने की आवश्यकता-तथ्यों पर, जुलाई 1976 से पहले प्रत्यक्ष प्रवेश कारीगरों के रूप में लगे अपीलकर्ता-अपीलकर्ताओं का दावा कि कारीगरों के रूप में उनकी 10 साल की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि के बाद, उन्हें एक अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व में रखा गया था।

10 वर्ष और विनियमों के अनुसार, आरक्षित अवधि का 50 प्रतिशत जो 5 वर्ष है, पेंशन के लिए गिना जाएगा, इस प्रकार, पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष की सेवा प्रदान की जाएगी-उत्तरदाताओं ने इनकार कर दिया

10 वर्ष की अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व में अपीलार्थियों की नियुक्ति-आयोजितः जैसा कि नियम 269 में निर्धारित किया गया है, फ्लीट रिजर्व में सेवा करने का दायित्व, यदि आवश्यक हो, तो केवल तभी होता है जब ऐसे नाविक को फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाता है-फ्लीट रिजर्व पर्सन में नामांकन का एक सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो भारतीय नौसेना में आर्टिफिसर के रूप में नामांकित है और

10 वर्ष की सेवा पूरी करते हुए, यह नहीं मान सकते कि वह स्वचालित रूप से फ्लीट रिजर्व में नामांकित है-तथ्यों पर, अपीलार्थियों को कोई वादा नहीं किया गया है कि निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद

1976 से फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करना बंद करने के बाद, प्रतिवादी स्पष्ट रूप से यह तय करने के लिए स्वतंत्र थे कि किसी नाविक को फ्लीट रिजर्व में नामांकित किया जाना है या नहीं-इसके अलावा, फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने के नामांकन के ऐसे किसी भी आश्वासन के अभाव में, प्रारंभिक भर्ती के समय, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता-इस प्रकार, अपीलकर्ता फ्लीट रिजर्व के 50 प्रतिशत को गिनने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें कभी भी उक्त रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था, वे आरक्षित पेंशन के हकदार नहीं हैं, हालांकि, उनके मामले

विशेष पेंशन देने के लिए विचार किया जाएगा

इसके अलावा,

अपीलार्थी पेंशन प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों के बराबर व्यवहार किए जाने के हकदार नहीं हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 एक बार जब कोई व्यक्ति नाविक/अधिकारी के रूप में नामांकित हो जाता है

भारतीय नौसेना में, वह भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना बलों में सेवा करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि उसे छुट्टी नहीं दी जाती है, अपमान के साथ बर्खास्त नहीं किया जाता है, सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है, इस्तीफा देने या रिहा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। छुट्टी, बर्खास्तगी आदि की स्थिति में, यानी नौसेना सेवा से अलग होने के समय, प्रत्येक नाविक को उसकी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में भी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस तरह के प्रमाण पत्र में उनकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार, इस तरह की समाप्ति का कारण और भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना आरक्षित बलों में सेवा की पूरी अवधि का उल्लेख है। सेवा पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है। [पैरा 19] [388-बी-डी]

1.2 के उद्देश्य के लिए योग्यता अवधि की गणना करना

पेंशन और ग्रेच्युटी, नामांकन या सामान्य नाविक या समकक्ष के पद पर पदोन्नति की तारीख से छुट्टी की तारीख तक की पूरी सेवा को गिना जाना है। इस प्रकार, जबकि नौसेना में पूर्ण निरंतर सेवा को पेंशन के लिए गिना जाता है, जहां तक फ्लीट रिजर्व का संबंध है, वे लोग जिन्हें इसमें शामिल किया गया है, वे फ्लीट रिजर्व की अवधि के 50 प्रतिशत को पेंशन के लिए गणना योग्य सेवा के रूप में गिनने के हकदार हैं। [पैरा 20] [388-ई-एफ]

1.3 जहाँ तक, फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने का संबंध है,

उनके संबंध में विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैंः (i) वे नाविक जो नाविक के रूप में 10 साल की सेवा कर रहे हैं, वे भारतीय फ्लीट रिजर्व में ड्राफ्टिंग के लिए पात्र हैं; (ii) विनियमन 269 के अनुसार, जिन्होंने 10 साल की सेवा प्रदान की है, उनकी सेवा को निरंतर सेवा के रूप में माना जाना है। इस विनियम में आगे कहा गया है कि

सभी शाखाओं के नाविकों की निरंतर सेवा, यदि आवश्यक हो, भारतीय फ्लीट रिजर्व में आगे 10 वर्षों की सेवा के लिए उत्तरदायी होगी; (iii) भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों का विनियमन 4 फ्लीट सर्विस में शामिल होने के लिए चरित्र, दक्षता, चिकित्सा स्थिति और उम्र के संबंध में योग्यता मानदंड निर्धारित करता है, जिसका अर्थ है कि केवल वे लोग जो पूर्व नौसेना निदेशक प्रवेश कलाकार संगठन और ओआरएस में निहित योग्यताओं को पूरा करते हैं।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने के लिए विनियमन 4 पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, विनियमन 6 विशेष रूप से घोषणा करता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं हो सकता है। नामांकन का तरीका विनियम 11 में उल्लिखित है, जिसके अनुसार, कमांडिंग ऑफिसर को इस तरह के नामांकन के लिए एक विशिष्ट सिफारिश करनी होती है, यानी उसे यह बताना होता है कि वह फ्लीट रिजर्व सेवा के लिए किसी विशेष नाविक की सिफारिश कर रहा है या नहीं और

उसके सेवा प्रमाणपत्र का तदनुसार समर्थन किया जाना चाहिए; और (iv) सकारात्मक सिफारिश के मामले में, एक फ्लीट रिजर्व प्रमाणपत्र के पास है - फ्लीट रिजर्व में नामांकन पर ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाना। [पैरा 21] [388-एफ-जी; 389-ए-सी]

1.4 यह स्पष्ट है कि भारतीय फ्लीट रिजर्व में सेवा करने का दायित्व, यदि आवश्यक हो, जैसा कि विनियमन 269 में निर्धारित किया गया है, केवल तभी है जब ऐसे नाविक को भारतीय फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाता है। इस प्रकार, फ्लीट रिजर्व में नामांकन का एक सकारात्मक कार्य होना चाहिए। एक व्यक्ति जो भारतीय नौसेना में कारीगर के रूप में नामांकित है और

10 साल की सेवा पूरी करते हुए, यह नहीं मान सकते कि वह स्वचालित रूप से फ्लीट रिजर्व में नामांकित हो गया है। जहाँ तक अपीलार्थी सं। 2 5 का संबंध है, फ्लीट रिजर्व में ऐसा कोई नामांकन नहीं था। [पारस 22,23] [389-डी-ई] 1.5 वास्तव में, अपीलार्थी उक्त स्थिति से अवगत थे। यही कारण था कि वचन का सिद्धांत

एस्टोपेल को इस आधार पर लागू किया गया था कि चूंकि उनका नामांकन 3 जुलाई, 1976 से पहले था, इसलिए 3 जुलाई, 1976 के संचार में निहित फ्लीट रिजर्व में नाविकों के हस्तांतरण को बंद करने का भारत सरकार का निर्णय उन पर बाध्यकारी नहीं है। भले ही यह न्यायालय उस आधार पर आगे बढ़ता है, कानूनी स्थिति जिसे प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान से हटा दिया गया है।

और इसमें उल्लिखित, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन अपीलार्थियों से कोई वादा नहीं किया गया था कि नाविकों के रूप में 10 साल की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद, उन्हें फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाएगा। न्यायाधिकरण ने सही टिप्पणी की है कि प्रारंभिक नामांकन के समय किसी भी भर्ती को कोई गारंटी/वादा नहीं दिया जा सकता है

सक्रिय सेवा में उनके प्रदर्शन के रूप में फ्लीट रिजर्व में नामांकित होने और उन्हें प्राप्त होने वाली सिफारिशें फ्लीट रिजर्व में नामांकन के लिए उनकी पात्रता तय करेंगी। इसलिए, मसौदा (2018) 4 एस. सी. आर. को बंद करने के लिए नीति की घोषणा से पहले ही।

1976 से फ्लीट रिजर्व में, प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 स्पष्ट रूप से यह तय करने के लिए स्वतंत्र थे कि किसी नाविक को फ्लीट रिजर्व में नामांकित किया जाना है या नहीं। [पैरा 24] [389-एफ-जी; 390-ए]

1.6 प्रारंभिक भर्ती के समय, फ्लीट रिजर्व में ड्राफ्टिंग के नामांकन के ऐसे किसी भी आश्वासन के अभाव में, प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने नौसेना विनियमन भाग III के विनियमन 269 के साथ-साथ भारतीय फ्लीट रिजर्व के विनियमों के तहत भारतीय फ्लीट रिजर्व को हस्तांतरण का कोई आदेश दिए बिना सक्रिय और आरक्षित सेवा के लिए केवल भर्ती/नामांकन, यह नहीं माना जा सकता है कि किसी भी समय फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने के बारे में अपीलकर्ताओं को कोई वादा किया गया था। [पैरा 26] [392-बी-सी]

मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (1979) 2 एससीसी 409: [1979] 2 एस. सी. आर. 641; बकुल काजू कं. और अन्य। वी. बिक्री कर अधिकारी, क्विलॉन और ए. एन. आर. (1986) 2 एससीसी 365: [1986] 1 एससीआर 610

संदर्भित किया गया।

1.7 प्रश्न सं। 1 नकारात्मक में जवाब दिया जाता है और यह माना जाता है कि अपीलकर्ता बेड़े के 50 प्रतिशत की गिनती करने के हकदार नहीं हैं रिजर्व क्योंकि उन्हें कभी भी उक्त रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था। नतीजतन, अपीलार्थी आरक्षित पेंशन के हकदार नहीं हैं। हालाँकि, उनके मामलों पर उसी तर्ज पर विशेष पेंशन देने के लिए विचार किया जाएगा जैसा कि टी. आर. दास के फैसले में किया गया था। [पैरा 28] [394-डी-ई]

टी. एस. दास और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (2017) 4 एससीसी

218 [2016] 6 एस. सी. आर. 541-पर निर्भर।

2.1 जहां तक प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों का संबंध है, उन्हें पेंशन मिल रही है और अपीलकर्ताओं का दावा है कि चूंकि कारीगर एक सजातीय वर्ग है, इसलिए चाहे वह प्रविष्टि प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद हो या यह एक सीधी प्रविष्टि (जैसा कि अपीलार्थियों के मामले में) हो, सभी कारीगरों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, तत्काल मामले में, चिंता इस सवाल के साथ है कि क्या अपीलार्थी अपने कार्यकाल के बाद भी सेवा पेंशन के लिए पात्र हैं। केवल 10 वर्षों की सेवा प्रदान की है (क्योंकि वे फ्लीट रिजर्व की किसी भी अवधि को गिनने के हकदार नहीं हैं जिसमें वे पूर्व नौसेना निदेशक प्रवेश कलाकार संगठन और ओआरएस थे।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

कभी तैयार नहीं किया)। यदि प्रशिक्षु कारीगरों को भी 10 साल की सेवा के समर्पण पर पेंशन मिलती, तो अपीलार्थियों के तर्क में कुछ बल होता। हालांकि ऐसा नहीं है। जहाँ तक प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों का संबंध है, उनके पास था

नौसेना प्रतिष्ठान में 4 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद,

उन्हें आर्टिफिसर V के पद पर पदोन्नत किया गया और उनकी 10 साल की सक्रिय सेवा की शुरुआत हुई। एक के बाद इन प्रशिक्षु प्रविष्टि कारीगरों को पांचवीं कक्षा के कारीगर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनके मामलों में, पेंशन के उद्देश्य के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने के लिए चार साल की प्रशिक्षण अवधि को गिना गया है।

[पैरा 29] [394-एफ-जी; 395-ए-बी]

अनुज कुमार डे और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य।

(1997) 1 एस. सी. सी. 366 [1996] 9 पूरक। एससीआर 269 -

प्रतिष्ठित।

2.2 अपीलार्थियों के वकील द्वारा एक प्रयास किया गया था

यह तर्क देते हुए कि अनुज कुमार डे ने सही कानून निर्धारित नहीं किया है

पेंशन के लिए योग्यता अवधि की गणना के लिए प्रशिक्षण अवधि की गणना नहीं की जा सकती थी। हालाँकि, यह अपीलकर्ताओं के लिए इस तरह का तर्क उठाने के लिए खुला नहीं है। सबसे पहले, यह तर्क अपीलार्थियों के लाभ को सुनिश्चित नहीं करेगा क्योंकि यह उन्हें किसी भी मामले में पेंशन का हकदार नहीं बनाएगा। भले ही

अपीलार्थियों के तर्क को सही माना जाता है, इसका एकमात्र प्रभाव यह मानना होगा कि प्रशिक्षु प्रवेश कारीगर भी पेंशन के हकदार नहीं हैं। अपीलार्थियों के वकील ने अपनी दलील में स्पष्ट कहा कि वह नहीं चाहते कि प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों को उनकी पेंशन से वंचित किया जाए। दूसरा, किसी भी मामले में, प्रशिक्षु प्रविष्टि कारीगरों की अनुपस्थिति में, इस तरह के तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है। तीसरा, अनुज कुमार में निर्धारित कानून ने 20 साल से अधिक समय तक याचिका को स्थगित रखा है और इसे परेशान करने का कोई कारण नहीं है

एक ही। इन सभी कारणों से, प्रश्न सं। (2) अपीलार्थियों के खिलाफ जवाब दिया जाता है। [पैरा 30] [395-ई-जी]

मामला कानून संदर्भ

[2016] 6 एससीआर 541

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[1979] 2 एससीआर 641

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

[1986] 1 एससीआर 610

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

पै

रा 29

[1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 269 प्रतिष्ठित [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6785

2014 से। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के दिनांक 22.01.2014 के निर्णय और आदेश से, 2013 के O. A. संख्या 8 में कोच्चि में क्षेत्रीय पीठ और R.A.No में 25.03.2014। ओ. ए. एन. सं. 2014 में 26. 2013 का 8.

डॉ. के. सुब्बा राव, अश्विनी भारद्वाज, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौतम शर्मा, वी. बालाजी, मुकेश कुमार मारोरिया, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. अपीलार्थी नं. 1 पूर्व नौसेना प्रत्यक्ष प्रविष्टि कारीगरों का एक पंजीकृत संघ है, जबकि अपीलार्थी नं. 2 5 नौसेना के पूर्व प्रत्यक्ष प्रवेश कारीगर हैं। मुख्य रूप से, यह अपीलार्थी Nos.2 से 5 का कारण है जिसका समर्थन उनके संघ द्वारा भी किया जाता है अर्थात अपीलार्थी संख्या 1। ये अपीलार्थी सं। 2 5 ने 10 साल की वास्तविक सेवा प्रदान की है। एक कारीगर को पेंशन का हकदार बनने के लिए, उसे नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 के विनियम 78 के अनुसार न्यूनतम 15 साल की सेवा प्रदान करनी चाहिए। अपीलार्थियों का दावा है कि कारीगरों के रूप में उनकी 10 साल की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि के बाद, उन्हें बेड़े में रखा गया था

10 साल की अवधि के लिए आरक्षित और नियमों के अनुसार, आरक्षित अवधि का 50 प्रतिशत पेंशन के उद्देश्य के लिए गिना जाना है। उस आधार पर, यह दावा किया जाता है कि 5 साल की आरक्षित अवधि उनके लाभ के लिए सुनिश्चित होगी और 10 साल की वास्तविक सेवा के साथ 5 साल की इस अवधि को जोड़ने पर, यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने 15 साल की सेवा प्रदान की है और तदनुसार वे पेंशन लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रत्यर्थी अपीलार्थी संख्या की नियुक्ति से इनकार करते हैं। 2 5 को 10 वर्ष की अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व में रखा जाएगा, जैसा कि उक्त अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया है। अतः, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी वास्तविक प्रतिपादन के बाद

नौसेना में 10 साल की सेवा, फ्लीट रिजर्व में शामिल किया गया था या नहीं।

2. अपीलकर्ताओं ने 2013 का ओ. ए. संख्या 8 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (इसके बाद 'ए. एफ. टी.' के रूप में संदर्भित), क्षेत्रीय पीठ, कोच्चि के समक्ष दायर किया था जिसमें उनके द्वारा लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, ए. एफ. टी. ने अपीलार्थियों द्वारा स्थापित मामले को स्वीकार नहीं किया है। नतीजतन, 22 जनवरी, 2014 के आदेश के अनुसार ए. एफ. टी. द्वारा उनके ओ. ए. को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने उस फैसले की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 25 मार्च, 2014 को ए. एफ. टी. ने भी खारिज कर दिया था। हालाँकि, साथ ही, ए. एफ. टी. द्वारा इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किए गए कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर इस न्यायालय के आधिकारिक निर्णय की मांग की गई हैः

एक्स नेवी डायरेक्ट एंट्री आर्टिस्ट्स एसोसिएशन

& ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

" (1) क्या वास्तव में नामांकन के समय लगाए गए आवेदकों की आरक्षित देनदारियों को नियमित नौसेना सेवा के पूरा होने पर रिजर्व में मसौदा तैयार करने के लिए किसी विशिष्ट आदेश के बिना फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार किया जाना था? यदि ऐसा है, तो क्या निर्धारित योजना के अनुसार ऐसी आरक्षित देयता की अवधि को सेवा की अवधि की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पेंशन उद्देश्यों के लिए आवेदक?

(2) चाहे आवेदक संख्या। 2 5 पेंशन उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों के बराबर व्यवहार किए जाने के हकदार थे

केवल इस आधार पर कि वे दोनों एक ही हैं

कारीगरों का सजातीय वर्ग?

3. ओ. ए. में पारित इन दोनों आदेशों के साथ-साथ समीक्षा याचिका में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत त्वरित अपील के माध्यम से अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया है।

नौसेना में सेवा करने के लिए 10 साल की उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय फ्लीट रिजर्व को वापस बुलाया जा सकता है। 6. प्रशिक्षु प्रवेश कारीगर (मैट्रिक की शिक्षा योग्यता के साथ) भारतीय नौसेना में 4 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इस अवधि के दौरान उन्हें वेतन की एक विशेष दर (प्रति माह निश्चित वजीफा) मिलती है। नौसेना प्रतिष्ठान में 4 साल की प्रशिक्षण अवधि के बाद, प्रशिक्षु प्रविष्टि

कारीगरों को कारीगर पांचवीं कक्षा के पद तक उन्नत किया जाता है और उनकी 10 साल की सक्रिय सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति शुरू हो जाती है। इसके अंत में, उन्हें 10 साल के लिए फ्लीट रिजर्व में भी रखा जा सकता था। यह हो सकता है उल्लेख किया कि आर्टिफिसर पांचवीं कक्षा के पद पर एक वर्ष के बाद, इन अप्रेंटिस एंट्री आर्टिफिसरों को आर्टिफिसर एक्टिंग [2018] 4 एस. सी. आर. के पद पर उन्नत किया जाता है।

चौथी कक्षा 10 साल की सक्रिय सेवा पूरी करेगी। दूसरी ओर, देश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमा की योग्यता के साथ प्रत्यक्ष प्रवेश कारीगर, जिसमें वर्ग अपीलार्थी शामिल हैं, को 10 साल की सक्रिय सेवा के प्रारंभिक जुड़ाव के साथ सीधे कारीगर कार्यवाहक चतुर्थ श्रेणी के पद पर नामांकित किया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि चतुर्थ श्रेणी के कार्यवाहक कारीगरों की श्रेणी में प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों और प्रत्यक्ष प्रवेश कारीगरों का विलय किया जाता है

एक साथ, और रैंक, काम, पदोन्नति, वेतन और भत्ते, छुट्टी और नाविकों के लिए अनुमत अन्य लाभों के उद्देश्यों के लिए समान व्यवहार किया जाता है। वे. सभी एक ही नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 द्वारा शासित हैं। अपने-अपने रैंकों में, वे जहाजों में स्थानांतरित होने पर एक-दूसरे को राहत देते हैं

और प्रतिष्ठान।

7. इन तथ्यों को नोट किया गया है, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा कहा गया है, इस कारण से कि अपीलार्थी दावा कर रहे हैं कि चूंकि अप्रेंटिस प्रविष्टि

4 साल की प्रशिक्षण अवधि को गिनने के बाद कारीगरों को पेंशन दी जाती है।

नौसेना प्रतिष्ठान में, अपीलार्थियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए। ए. एफ. टी. द्वारा तैयार किया गया और इस न्यायालय को संदर्भित प्रश्न संख्या 2 इस पहलू को छूता है।

8. अपीलार्थियों के मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलार्थी सं। 2 5 के लिए प्रत्यक्ष कारीगरों के रूप में लगे हुए थे

10 वर्ष की अवधि। ये सभी अपीलार्थी जुलाई, 1976 से पहले नियुक्त किए गए थे। यही उनके द्वारा दी गई वास्तविक सेवा है। उनके अनुसार, इन्हें 10 साल की अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व में शामिल किया गया था और इस अवधि के 50 प्रतिशत को पेंशन के लिए गिना गया है। उस आधार पर, वे दावा करते हैं कि वे पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो गए हैं। इसलिए, उन्होंने 10 मई, 2012 को उत्तरदाताओं से उन्हें पेंशन देने का अनुरोध किया। हालाँकि, 25 जून, 2012 के उत्तर के माध्यम से, उत्तरदाताओं ने उनके अनुरोध को 'सीमा नियमों के अनुसार मान्य नहीं' के रूप में अस्वीकार कर दिया।

नियम '। उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया कारण यह था कि अपीलार्थियों को फ्लीट रिजर्व में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया था और इसलिए, फ्लीट रिजर्व अवधि का 50 प्रतिशत गिनने का कोई कारण नहीं था। द.

नहीं। एडी/5374/2/76/2214/एस/डी (एन. आई. आई.) दिनांक 3 जुलाई, 1976 जिसके अनुसार फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करना 1976 से बंद कर दिया गया था और, इसलिए, अपीलार्थियों को कभी भी फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया। अपने अनुरोध की इस अस्वीकृति को प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता ओ. ए. के रूप में ए. एफ. टी. से संपर्क करते हैं जो बर्खास्तगी के भाग्य का सामना करता है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है।

एक्स नेवी डायरेक्ट एंट्री आर्टिस्ट्स एसोसिएशन

& ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

9. ए. एफ. टी. के विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं को नौसेना विनियम, भाग III के विनियम 268 (1) के तहत नौसेना में नामांकित किया गया था। इसके विनियम 269 में 10 साल की प्रारंभिक भागीदारी का प्रावधान है, जिसके बाद 10 साल के लिए फ्लीट रिजर्व में रहने का दायित्व है। हालांकि, फ्लीट रिजर्व में आगे 10 साल की सेवा फ्लीट रिजर्व के नियमों के अधीन है। भर्ती के समय ही

अपीलार्थियों के लिए, यह स्पष्ट किया गया था कि उन्हें केवल तभी फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाएगा जब आवश्यकता होगी और भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियम विशेष रूप से निर्धारित करते हैं कि 'कोई भी व्यक्ति फ्लीट रिजर्व में शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है'। इसलिए, अपीलार्थियों को फ्लीट रिजर्व में शामिल होने का कोई स्वतः अधिकार नहीं था। किसी भी मामले में, 3 जुलाई, 1976 के सरकार के पत्र के संदर्भ में, फ्लीट रिजर्व में नाविकों का स्थानांतरण बंद कर दिया गया था और इसलिए, फ्लीट रिजर्व में अपीलकर्ताओं का मसौदा तैयार करने का कोई आदेश कभी नहीं दिया गया था। अभिलेखों पर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उनकी सक्रिय सेवा समाप्त होने पर उन्हें फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जा रहा है। इस संबंध में ए. एफ. टी. ने 3 जुलाई, 1976 के सरकार के पत्र के प्रासंगिक हिस्से का हवाला दिया है जो इस प्रकार हैः

मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति को मंजूरी देने में खुशी हो रही है नाविकों की सेवा की शर्तों में निम्नलिखित संशोधनः

(च) वर्तमान फ्लीट रिजर्व में स्थानांतरणः — नाविकों का स्थानांतरण

फ्लीट रिजर्व को बंद किया जाना है।

3. उपयुक्त सरकारी विनियमों/आदेशों में उचित समय पर संशोधन किया जाएगा।

10. ए. एफ. टी. ने यह भी पाया कि बाद में, के लिए नियम

नौसेना को भारत सरकार द्वारा 1978 के 28 मार्च 1978 के SRO.No.106 के माध्यम से संशोधित किया गया था। एस. आर. ओ. के प्रासंगिक भाग दिए गए हैं। नीचेः

" S.R.O.106: — नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार नौसेना समारोह, सेवा की शर्तों और विविध विनियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है।

1964 , अर्थात्ः —

2. नौसेना समारोह में, सेवा की शर्तें और विविध विनियम, 1964-[2018] 4 एस. सी. आर.

" (1ए) नए प्रवेशकः -(क) लड़कों, कारीगरों, प्रशिक्षुओं और प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को नामांकन की तारीख से या 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से 15 वर्ष की सेवा की अवधि को पूरा करने की अनुमति देने के लिए गणना की गई अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, जो भी बाद में हो, बशर्ते उनकी सेवाओं की इतनी लंबी आवश्यकता हो। (1बी) (ए) मौजूदा नाविकों के मामले में, उनकी नियुक्ति की अवधि उप-विनियम (1) द्वारा शासित होगी, सिवाय इसके कि वे नहीं करेंगे

फ्लीट रिजर्व में स्थानांतरित किया जाए।

(बी)। (1ग) 3 जुलाई, 1976 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले व्यक्तियों को नया प्रवेशक माना जाएगा।

11. नौसेना अधिनियम, नौसेना के विभिन्न प्रावधानों को देखने के बाद

खंड, भाग III और उपरोक्त संशोधनों में, ए. एफ. टी. ने निम्नलिखित तरीके से मुख्य बिंदुओं के रूप में लाभप्रद विशेषताओं को बाहर निकालाः

" 25. उपरोक्त विनियमों से उभरने वाले मुख्य बिंदु, जो

इस मामले में प्रासंगिक हैंः

(क) 10 साल की निरंतर सेवा रखने वाले नाविक, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय फ्लीट रिजर्व में आगे की सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे, बशर्ते कि -

भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों के प्रावधान (विनियमन 269) .

नहीं उसे फ्लीट रिजर्व सेवा के लिए अनुशंसित किया जाता है और उसकी सेवा प्रमाणपत्र को तदनुसार अनुमोदित किया जाना है (विनियमन

11 फ्लीट रिजर्व)।

(ग) फ्लीट रिजर्व में नामांकन के लिए योग्यताएं निर्दिष्ट की गई हैं। रिजर्व में शामिल होना अधिकार नहीं है (विनियम 4 और

6 फ्लीट रिजर्व)।

एक्स नेवी डायरेक्ट एंट्री आर्टिस्ट्स एसोसिएशन

& ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

(घ) भर्ती करने वाले अधिकारियों को नौसेना में भर्ती होने से पहले सेवा के नियमों और शर्तों और देनदारियों को पूरी तरह से समझाना और समझाना अनिवार्य है (विनियमन 264)

नौसेना के लिए विनियम)।

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति को एक बेड़ा आरक्षित प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

26. विनियमों से यह स्पष्ट है कि एक नाविक को उसकी सक्रिय सेवा के बाद फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाना होता है और यह एक नियम नहीं है। स्वचालित पुनः नामांकन। फ्लीट रिजर्व में शामिल होने का कोई विशिष्ट दावा या अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे नियम और शर्तें हैं जिन्हें किसी व्यक्ति को फ्लीट में शामिल होने से पहले पूरा करना होता है

रिजर्व करें। यह भी स्पष्ट है कि, प्रारंभिक समय में

नामांकन किसी भी भर्ती को उसके प्रदर्शन के रूप में फ्लीट रिजर्व में नामांकित होने की कोई गारंटी/वादा नहीं दिया जा सकता है।

सक्रिय सेवा और उसे मिलने वाली सिफारिशों में

बेड़े में नामांकन के लिए उसकी पात्रता तय करेगा रिजर्व करें। इसलिए नीति की घोषणा से पहले भी

1976 से फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करना बंद करने के बाद, उत्तरदाता 1 और 2 स्पष्ट रूप से यह तय करने के लिए स्वतंत्र थे कि क्या कोई नाविक है

फ्लीट रिजर्व में नामांकित होना या नहीं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान वकील के प्रस्तुत करने से सहमत नहीं हो सकते हैं आवेदक कि उन्हें कुछ और समझने के लिए बनाया गया था।

12. अपीलकर्ताओं ने ए. एफ. टी. के समक्ष दो दलीलें पेश कीं। पहली बार में, यह तर्क दिया गया था कि सेवा में उनकी भर्ती के समय, जो 3 जुलाई, 1976 के सरकारी आदेश से पहले पारित किया गया था, उन्हें यह समझने के लिए दिया गया था कि वे 10 साल की सक्रिय सेवा के बाद 10 साल की फ्लीट सेवा प्रदान करेंगे। इस प्रकार, वे समझ गए कि फ्लीट सर्विस का 50 प्रतिशत पेंशन के लिए गिना जाता है ताकि वे पेंशन प्राप्त कर सकें। इसलिए सरकार ने

उन्हें उपरोक्त लाभ देने के लिए प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत से बंधे थे। अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दूसरा तर्क यह था कि अपीलार्थी, अर्थात्, प्रत्यक्ष प्रवेश कारीगर और प्रशिक्षु प्रवेश कारीगर एक समरूप वर्ग का गठन करते थे। इस प्रकार, जब प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों को पेंशन लाभ प्रदान किए गए थे, तो अपीलार्थियों को इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं था और इस तरह का इनकार भेदभावपूर्ण था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन था। ए. एफ. टी. द्वारा इन दोनों तर्कों को नकार दिया गया है। साथ ही

समय, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, अपीलार्थियों को अपील करने की अनुमति देते समय इन दोनों पहलुओं पर कानून के प्रश्न तैयार किए गए हैं।

13. अब हम अपने लिए दो प्रश्नों को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं।

विचार करें।

प्रश्न संख्या 1-क्या आवेदकों की आरक्षित देनदारियाँ हैं

नामांकन के समय लगाए गए आई. पी. एस. ओ. वास्तविक रूप से उन्हें नियमित नौसेना सेवा के पूरा होने पर रिजर्व में मसौदा तैयार करने के लिए किसी विशिष्ट आदेश के बिना फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने के बराबर था? यदि हां, तो क्या निर्धारित योजना के अनुसार ऐसी आरक्षित देयता की अवधि को पेंशन उद्देश्यों के लिए आवेदकों की सेवा की अवधि की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए?

14. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, हमें नौसेना अधिनियम, नौसेना के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों से गुजरना होगा। विनियम भाग-III के साथ-साथ सरकार द्वारा फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने की नीति को बंद करने का निर्णय लिया गया। जहाँ तक नौसेना अधिनियम का संबंध है, विवाद का निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित प्रावधान प्रासंगिक हैं।

" 14. अधिकारियों और नाविकों की सेवा के लिए दायित्वः

(1) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन, अधिकारी और नाविक

भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना रिजर्व बलों में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि उन्हें विधिवत छुट्टी नहीं दी जाती है, अपमान के साथ बर्खास्त नहीं किया जाता है, सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है, इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जाती है या रिहा नहीं किया जाता है।

17. निर्वहन के बारे में प्रावधान। (4) प्रत्येक नाविक जिसे बर्खास्त किया जाता है, छुट्टी दी जाती है, सेवानिवृत्त किया जाता है, इस्तीफा देने की अनुमति दी जाती है या सेवा से रिहा किया जाता है, निर्धारित अधिकारी द्वारा उस भाषा में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जो ऐसे नाविक की मातृभाषा है और अंग्रेजी भाषा में भी प्रस्तुत किया जाएगा।

((ख) ऐसी समाप्ति का कारण; और
(ग) भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना में उनकी सेवा की पूरी अवधि

नौसेना आरक्षित बल।

[184 ए. पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ विनियम बनाने की शक्ति। — इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विनियम बनाने की शक्ति में विनियमों को इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी या

उनमें से कोई भी, लेकिन किसी भी विनियमन को कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा सके जिसके लिए ऐसा विनियमन लागू हो सकता है। नौसेना का पूर्व निर्देशन कला संघों में प्रवेश।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

15. 1964 के लिए पेंशन विनियमों के प्रासंगिक विनियमों को नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया हैः

" 78. पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा-जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं की जाती है, न्यूनतम सेवा जो सेवा के लिए योग्य है।

पेंशन पंद्रह साल की है।

79. पेंशन और उपदान के लिए अर्हता प्राप्त सेवा-(1) सामान्य नाविक के पद पर नामांकन या उन्नति की तारीख से या निर्वहन की तारीख के समकक्ष सभी सेवाएँ पेंशन या उपदान के लिए पात्र होंगी, सिवाय इसके कि -

87. रिजर्व में स्थानांतरित नाविक-सेवा पेंशन अर्जित करने के बाद रिजर्व में स्थानांतरित नाविक को उसके स्थानांतरण की तारीख से ऐसी पेंशन दी जाएगी।

92. आरक्षित पेंशन और उपदान (1) एक आरक्षित व्यक्ति जिसे सेवा पेंशन की प्राप्ति नहीं है, उसे निर्धारित नौसैनिक और प्रत्येक दस साल की आरक्षित योग्यता सेवा के पूरा होने पर, ग्यारह रुपये प्रति माह की आरक्षित पेंशन या

पेंशन के बदले में नौ सौ रुपये। (2) एक आरक्षित व्यक्ति जो सेवा पेंशन की प्राप्ति में नहीं है और जिसकी योग्यता सेवा सगाई की अवधि से कम है लेकिन पंद्रह साल से कम नहीं है, सगाई की अवधि पूरी होने पर या सेवा से पहले निर्वहन पर, अन्यथा

उसके अपने अनुरोध पर, पेंशन के बदले में सात सौ पचास रुपये की आरक्षित पेंशन दी जाए।

16. नौसेना विनियम भाग III ने सेवा की शर्तों को निर्धारित किया

नौसेना में नौसैनिक। इसके कुछ प्रावधान, जिनके साथ हम

चिन्तित, निम्नानुसार हैंः

" 261. भर्ती-नौसेना प्रमुख सेवा के लिए आवश्यक नाविकों की भर्ती कर सकता है।

(2) नाविकों की भर्ती बॉय एंट्री, आर्टिफिसर के माध्यम से की जाएगी।

प्रशिक्षुओं का प्रवेश और आवश्यकतानुसार सीधा प्रवेश।

268. संलग्नता-(1) लड़कों, कारीगर प्रशिक्षुओं और प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को निरंतर सेवा के लिए नामांकित किया जाएगा जैसा कि विनियमन 269 के उप-विनियमन (1) में प्रदान किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

269. निरंतर सेवा-(ए) पुराने प्रवेशक लड़कों, कारीगर प्रशिक्षुओं और प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से या प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर पुरुष के पद पर रैंक प्राप्त करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, 10 साल की सेवा की अवधि को पूरा करने की अनुमति देने के लिए गणना की गई अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी सेवाओं की इतनी लंबी आवश्यकता हो।

भारतीय रिजर्व के लिए विनियमन के प्रावधानों के अधीन, सभी शाखाओं के निरंतर सेवा नाविक, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय फ्लीट रिजर्व में आगे 10 वर्षों की सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(क) लड़के, कारीगर-प्रशिक्षु और प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को 15 साल की अवधि की अनुमति देने के लिए गणना की गई अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है सेवा को 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूरा किया जाना है, जो भी बाद में हो, बशर्ते उनकी सेवाओं की इतनी लंबी आवश्यकता हो।

(1 - बी) (ए) मौजूदा नाविकों के मामले में, उनकी नियुक्ति की अवधि उप विनियमन (1) द्वारा शासित होगी, सिवाय इसके कि उन्हें फ्लीट रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(1 - ग) 3 जुलाई, 1976 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले व्यक्ति

नए प्रवेशक माने जाएँ "।

17. यह वर्ष 1978 में किए गए संशोधनों से पहले मौजूद विनियमन 269 (अपरिवर्तित) को पुनः प्रस्तुत करने के लिए भी उपयुक्त होगा।

निम्नलिखित हैः

" 269. निरंतर सेवाः - (1) लड़के, शिल्पकार प्रशिक्षु और

प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से या प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर पुरुष दर में मूल्यांकन किए जाने की तारीख से 10 वर्ष की सेवा की अवधि को पूरा करने की अनुमति देने के लिए गणना की गई अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, जो भी हो।

बाद में, बशर्ते उनकी सेवाओं की इतने लंबे समय तक आवश्यकता हो।

सभी शाखाओं के निरंतर सेवा नाविक, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय फ्लीट रिजर्व में और 10 साल की सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे, जो भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। एक्स नेवी डायरेक्ट एंट्री आर्टिस्ट्स एसोसिएशन ऑर्स।

बंद कर दिया। इसी तरह, हम पहले ही प्रासंगिक निकाल चुके हैंएस. आर. ओ. 106 दिनांक 28 मार्च, 1976। इसके अलावा, भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों पर भी ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार हैं -

बनाम ○:

" 4. विनियम 4, बेड़े में शामिल होने के लिए चरित्र, दक्षता, चिकित्सा स्थिति और आयु के संबंध में योग्यता मानदंड निर्धारित करता है।

आरक्षित करें।

6. फ्लीट रिजर्व में शामिल होने का दावाः —कोई भी व्यक्ति शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है

एक अधिकार के रूप में फ्लीट रिजर्व।

11. नामांकनः रिजर्व के पंजीयक को रॉयल इंडियन फ्लीट रिजर्व में नामांकन या पुनः नामांकन करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो रॉयल इंडियन नेवी के कमांडिंग ऑफिसर के अधिकार के तहत कार्य करता है।

(क) जब एक सक्रिय सेवा मूल्यांकन उसके नामांकन की शर्तों को पूरा करने के छह महीने के भीतर होता है, तो जिस जहाज में वह सेवा कर रहा है, उसके कमांडिंग अधिकारी को पंजीयक को सूचित करना होता है कि क्या उसे फ्लीट रिजर्व सेवा के लिए अनुशंसित किया गया है या नहीं और उसके अनुसार उसे अपने सेवा प्रमाण पत्र का समर्थन करना होता है।

13. फ्लीट रिजर्विस्ट प्रमाणपत्रः - रॉयल इंडियन फ्लीट रिजर्व में नामांकन या पुनः नामांकन पर प्रत्येक व्यक्ति को फ्लीट रिजर्विस्ट सर्टिफिकेट (फॉर्म RINF.3P) जारी किया जाना है। यह प्रमाणपत्र

19. विनियम 19 आरक्षितों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि निर्धारित करता है। 21. सेवा प्रमाणपत्रों पर टिप्पणियाँः - प्रशिक्षण की प्रत्येक अवधि के समापन पर पंजीयक संबंधित मूल्यांकन के सेवा प्रमाणपत्रों में निम्नलिखित जानकारी दर्ज कराएगाः

((क) चरित्र।

(ख) मूल मूल्यांकन में क्षमता।

(ग) गैर-मूल मूल्यांकन रखने के लिए स्वास्थ्य (अनुच्छेद 7 (v)] [2018] 4 एस. सी. आर.

पंजीयक को पृष्ठ 4 पर सेवा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना है क्योंकि वह संतुष्ट है कि निर्धारित प्रशिक्षण किया गया है और उस व्यक्ति के पास अपना बेड़ा आरक्षित प्रमाणपत्र है और वह जानता है कि जुटाने पर कहाँ रिपोर्ट करना है।

19. उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन से निम्नलिखित स्थिति सामने आती हैः

(i) एक बार जब कोई व्यक्ति भारतीय नौसेना में नाविक/अधिकारी के रूप में नामांकित हो जाता है,

वह भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना बलों में सेवा करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि उसे छुट्टी नहीं दी जाती, अपमान के साथ बर्खास्त नहीं किया जाता, सेवानिवृत्त नहीं किया जाता, इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जाती या रिहा नहीं किया जाता।

((ii) छुट्टी, बर्खास्तगी आदि की स्थिति में, यानी नौसेना सेवा से अलग होने के समय, प्रत्येक नाविक को एक -

अपनी मातृभाषा में और अंग्रेजी भाषा में भी प्रमाण पत्र। इस तरह के प्रमाण पत्र में उनकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार, इस तरह की समाप्ति का कारण और भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना आरक्षित बलों में सेवा की पूरी अवधि का उल्लेख है। (iii) सेवा पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है।

20. पेंशन के उद्देश्य के लिए योग्यता अवधि की गणना

और उपदान, सामान्य नाविक या समकक्ष के पद पर नामांकन या उन्नति की तारीख से निर्वहन की तारीख तक की पूरी सेवा को गिना जाना है। इस प्रकार, जबकि नौसेना में पूर्ण निरंतर सेवा को पेंशन के लिए गिना जाता है, जहां तक फ्लीट रिजर्व का संबंध है, वे लोग जिन्हें इसमें शामिल किया गया है, वे फ्लीट रिजर्व की अवधि के 50 प्रतिशत को पेंशन के लिए गणना योग्य सेवा के रूप में गिनने के हकदार हैं।

21. जहाँ तक फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने का संबंध है, उसके संबंध में विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

(i) वे नाविक जो नाविक के रूप में 10 साल की सेवा कर रहे हैं, वे भारतीय फ्लीट रिजर्व में ड्राफ्टिंग के लिए पात्र हैं। (ii) विनियम 269 के अनुसार, जिन्होंने 10 साल की सेवा प्रदान की है, उनकी सेवा को निरंतर सेवा माना जाना है। यह

विनियमन में आगे यह प्रावधान किया गया है कि सभी शाखाओं के नाविकों की निरंतर सेवा, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय फ्लीट रिजर्व में आगे 10 वर्षों की सेवा के लिए उत्तरदायी होगी।

एक्स नेवी डायरेक्ट एंट्री आर्टिस्ट्स एसोसिएशन

& ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

(iii) भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों का विनियम 4 चरित्र, दक्षता, चिकित्सा के संबंध में योग्यता मानदंड निर्धारित करता है।

तदनुसार अनुमोदन किया जाना चाहिए। (iv) सकारात्मक सिफारिश के मामले में, ऐसे व्यक्ति को फ्लीट रिजर्व में नामांकन पर एक फ्लीट रिजर्व प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

22. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भारतीय फ्लीट रिजर्व में सेवा करने का दायित्व, यदि आवश्यक हो, जैसा कि विनियमन 269 में निर्धारित किया गया है, केवल तभी है जब ऐसे नाविक को भारतीय फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाता है। इस प्रकार, फ्लीट रिजर्व में नामांकन का एक सकारात्मक कार्य होना चाहिए। एक व्यक्ति जो भारतीय नौसेना में आर्टिफिसर के रूप में नामांकित है और 10 साल की सेवा पूरी करता है, यह नहीं मान सकता कि वह स्वचालित रूप से फ्लीट रिजर्व में नामांकित है।

23. जहाँ तक अपीलार्थी सं। 2 5 का संबंध है, फ्लीट रिजर्व में ऐसा कोई नामांकन नहीं था। 24. वास्तव में, अपीलार्थी उपरोक्त स्थिति से अवगत थे। यही कारण था कि प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू किया गया था

इस आधार पर कि चूंकि उनका नामांकन 3 जुलाई, 1976 से पहले था, इसलिए नाविकों के स्थानांतरण को बंद करने का भारत सरकार का निर्णय

3 जुलाई, 1976 के संचार में निहित फ्लीट रिजर्व उन पर बाध्यकारी नहीं है। भले ही हम उस आधार पर आगे बढ़ते हैं, कानूनी स्थिति जिसे प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान से हटा दिया गया है और ऊपर उल्लिखित, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन अपीलार्थियों से कोई वादा नहीं किया गया था कि नाविकों के रूप में 10 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, उन्हें फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाएगा। न्यायाधिकरण ने सही टिप्पणी की है कि प्रारंभिक नामांकन के समय किसी भी भर्ती को बेड़े में नामांकित होने की कोई गारंटी/वादा नहीं दिया जा सकता है

सक्रिय सेवा में उनके प्रदर्शन के रूप में रिजर्व और उन्हें प्राप्त होने वाली सिफारिशें फ्लीट रिजर्व में नामांकन के लिए उनकी पात्रता तय करेंगी। इसलिए, 1976 से फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करना बंद करने के लिए नीति की घोषणा से पहले, प्रतिवादी संख्या।

y यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या एक नाविक को फ्लीट रिजर्व में नामांकित किया जाना है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि हमारे बारे में उपरोक्त दृष्टिकोण पहली बार लिया गया है। हम अपरिवर्तित ओरी पर नहीं चल रहे हैं। सटीक रूप से, इस प्रश्न का निर्णय इस न्यायालय के तीन न्यायाधीश एच द्वारा टी. एस. दास और अन्य मामलों में किया गया है। वी. भारत संघ & Anr.[1]. वास्तविक पृष्ठभूमि जिसमें उपरोक्त निर्णय दिया गया है वह वास्तविक है जैसा कि खनन के लिए उसमें पूछे गए निम्नलिखित प्रश्न से देखा जा सकता हैः

" 25. सक्षम के एक स्पष्ट आदेश के अभाव में

फ्लीट रिजर्व सर्विस में आवेदकों को लेने का अधिकार, मुख्य प्रश्न हैः क्या नियुक्ति पत्र में इस शर्त के कारण आवेदकों को फ्लीट रिजर्व सेवा में माना जा सकता है कि नाविक के रूप में नौसेना सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए फ्लीट रिजर्व सेवा में रहना पड़ सकता है। नियुक्ति में वह शर्त

पत्र को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। शासन का कार्य

नाविकों की शर्तों का पता 1957 के प्रावधानों से लगाया जाना चाहिए।

सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियम। 1957 के अधिनियम के प्रावधानों से कुछ भी नहीं है इंगित करें कि नियुक्ति या नामांकन के बाद नाविक है

" स्वचालित रूप से "10 साल की प्रारंभिक सक्रिय सेवा अवधि पूरी होने के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में बने रहने का हकदार है। हालाँकि, प्रावधानों से संकेत मिलता है कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार 10 साल की प्रारंभिक सक्रिय सेवा या बढ़ी हुई अवधि के पूरा होने पर अधिनियम की धारा 16 के अनुसार निर्वहन लेने का हकदार है। आवेदकों का कहना है कि किसी भी आवेदक ने छुट्टी का विकल्प नहीं चुना। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे या वास्तव में इसके बाद भी फ्लीट रिजर्व सेवा में बने रहेंगे।

नाविक के रूप में सक्रिय सेवा की अवधि की समाप्ति। फ्लीट रिजर्व सर्विस में संबंधित आवेदक का मसौदा तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए था। इस तरह के आदेश के अभाव में, नियुक्ति की सेवा की अवधि पूरी होने पर, संबंधित नाविक को छुट्टी दे दी जाएगी। स्वीकार्य रूप से, फ्लीट रिजर्व सेवा पर प्रतिधारण है

नियोक्ता का विशेषाधिकार, जिसका उपयोग मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान मामले में, हालांकि, एक नीतिगत निर्णय के कारण, फ्लीट रिजर्व सेवा को बंद कर दिया गया था अधिसूचना दिनांक 3-7-1976 "।

) 4 एस. सी. सी. 218 पूर्व नौसेना निदेशक प्रवेश कलाकार संघ। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

25. न्यायालय ने 7 जुलाई की उपरोक्त अधिसूचना को पुनः प्रस्तुत किया और निम्नलिखित तरीके से चर्चा जारी रखीः

" 27. जैसा कि अब तक उल्लेख किया गया है, प्रासंगिक प्रावधानों में से कोई भी दूरस्थ रूप से यह सुझाव नहीं देता है कि नाविक को "स्वचालित रूप से" फ्लीट रिजर्व सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया है। जबकि, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि नियुक्ति की सेवा की अवधि समाप्त होने पर नाविक को केवल तभी फ्लीट रिजर्व सेवा पर रखा जाएगा जब एक एक्सप्रेस सेवा हो।

उस ओर से आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे फ्लीट रिजर्व पर ड्राफ्ट करने के लिए पारित किया जाता है और अन्यथा नहीं। अधिनियम की धारा 16 केवल नाविक को नियुक्ति की सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद छुट्टी लेने का विकल्प देती है। यह एक ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि नाविक द्वारा इस तरह के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है

संबंधित रूप से, उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए "स्वचालित रूप से" फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल किया गया माना जाएगा। 28. विनियम 269 सेवा की शर्तों को स्पष्ट करता है। यह.

इस स्थिति को मजबूत करता है कि एक नाविक की सेवाएं होंगी

"इतने लंबे समय तक आवश्यक" या "यदि आवश्यक हो" जारी रखा। उस विनियमन के उप-विनियमन (1) के दूसरे भाग में भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों के प्रावधानों के अधीन, भारतीय फ्लीट रिजर्व में आगे 10 वर्षों की सेवा के लिए "यदि आवश्यक हो" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। यह दृष्टिकोण न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ, नई दिल्ली) द्वारा निरंजन चक्रवर्ती बनाम में लिया गया है। संघ का

भारत [निरंजन चक्रवर्ती बनाम। भारत संघ, 2010 एससीसी

विनियम 92, प्रत्येक 10 साल की निर्धारित नौसेना और आरक्षित योग्यता सेवा का समापन है। नाविक के रूप में सक्रिय सेवा के केवल 10 वर्ष पूरे होने पर या उस मामले के लिए उस अवधि के बाद भी जारी रहा, लेकिन 15 वर्ष या आरक्षित सेवा में अर्हता प्राप्त करने से कम होने पर, संबंधित नाविक लाभ का दावा नहीं कर सकता है। आरक्षित पेंशन के अनुदान के लिए विनियमन 92 के तहत। क्योंकि, आरक्षित पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उसे फ्लीट रिजर्व [2018] 4 एस. सी. आर. में शामिल किया जाना चाहिए।

10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा। के विनियम 6 के संदर्भ में

भारतीय बेड़ा आरक्षित विनियम, इसमें शामिल होने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है

अधिकार के रूप में फ्लीट रिजर्व। कोई भी आवेदक नहीं

पूरा होने के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा के लिए तैयार किया गया था

उनकी सक्रिय सेवा। अतः न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक,

आरक्षित पेंशन की राहत का दावा नहीं कर सकता था। 26. नामांकन के ऐसे किसी भी आश्वासन के अभाव में

फ्लीट रिजर्व में ड्राफ्टिंग, प्रारंभिक भर्ती के समय, प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने इस ओर से इस न्यायालय के कुछ निर्णयों 2 पर ध्यान दिया है और उस आधार पर सही निष्कर्ष निकाला है कि नौसेना विनियमन भाग III के विनियमन 269 के साथ-साथ भारतीय फ्लीट रिजर्व के विनियमों के तहत भारतीय फ्लीट रिजर्व में हस्तांतरण का कोई आदेश दिए बिना सक्रिय और आरक्षित सेवा के लिए केवल भर्ती/नामांकन, यह नहीं माना जा सकता है कि किसी भी समय फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने के बारे में अपीलकर्ताओं को कोई वादा किया गया था। हम इस समय टी. आर. दास मामले के पैरा 31 को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे।

" 31. मूल आवेदकों का तर्क है कि यदि सरकारी नीति दिनांक 3-7-1976 सेवारत नाविकों पर लागू होती है, तो अनिवार्य रूप से, इसका परिणाम उनके नुकसान के लिए पूर्वव्यापी अनुप्रयोग होगा। यह अधिनियम की धारा 184-ए द्वारा वर्जित है। यह तर्क नहीं है

हमारी प्रशंसा करें। इसमें, सरकारी नीति का प्रभाव रिजर्व फ्लीट सर्विस की स्थापना को भंग करना है

3-7-1976 से प्रभाव। जैसा कि पहले पाया गया है, नाविकों का मसौदा तैयार करना

रिजर्व फ्लीट सर्विस स्वचालित नहीं थी, लेकिन एक पर निर्भर थी

उस में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाने वाला स्पष्ट आदेश

मामले-दर-मामले के आधार पर। नाविकों के पास रिजर्व फ्लीट सर्विस में रखे जाने का कोई निहित या अर्जित अधिकार नहीं था। इसलिए, सक्रिय सेवा में नाविकों का कोई अधिकार प्रभावित या लिया नहीं गया था

दिनांकित 3-7-1976 पॉलिसी के कारण दूर।

27. हालाँकि, यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि टी. आर. दास में, हालाँकि न्यायालय ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया था कि ऐसी सीधी प्रविष्टि

टी. आर. दास में निर्णय के पैरा 34 और 36 में निहित और ये पैरा निम्नानुसार हैंः 2 मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (1979) 2 एस. सी. सी. 409; बकुल काजू कंपनी और अन्य। वी. बिक्री कर अधिकारी, क्लिॉन और ए. एन. आर.

(1986) 2 एस. सी. सी. 365 पूर्व नौसेना निदेशक प्रवेश कलाकार संघ। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

" 34. अगला सवाल यह है कि क्या 1973 से पहले नियुक्त नाविक पेंशन विनियमों के विनियम 95 के संदर्भ में विशेष पेंशन के हकदार थे। वास्तव में, यह एक विशेष प्रावधान है और नाविकों की एक श्रेणी तैयार करता है, जिनके लिए यह लागू होना चाहिए।

विशेष अनुदान देने का विवेक केंद्र सरकार में निहित है

ऐसे नाविकों को पेंशन, जो अपवाद श्रेणी में आते हैं। विनियमन 95 में दो व्यापक अपवादित श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। पहला, नाविक जिन्हें भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत को कम करने की सरकारी नीति के अनुसरण में अपने कर्तव्यों से छुट्टी दे दी गई है; या दूसरा, पुनर्गठन का, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी जहाज या प्रतिष्ठान को भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान मामले में, सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय की पृष्ठभूमि में विनियमन 95 का खंड (i) लागू होना चाहिए, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 3-7-1976 में उल्लिखित है। उस तारीख को और उसके बाद से, निश्चित रूप से, फ्लीट रिजर्व सेवा

बंद कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से उक्त नीति के लागू होने के बाद भारतीय नौसेना के फ्लीट रिजर्व की स्थापना की ताकत उस हद तक कम हो जाती है। उक्त नीति के लागू होने के बाद किसी भी नाविक को फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है-क्योंकि वह प्रतिष्ठान अब मौजूद नहीं था और भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत थी।

नौसेना उस हद तक कम हो गई। निर्विवाद रूप से, 3-7-1976 से पहले नियुक्त नाविकों के पास अपनी सक्रिय सेवा/सूचीकरण अवधि की समाप्ति के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में बने रहने का विकल्प था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्येक आवेदक के संबंध में नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की अवधि को 10 साल की प्रारंभिक सक्रिय सेवा और उसके बाद 10 साल की आवश्यकता होने पर फ्लीट रिजर्व सेवा के रूप में उल्लेख किया गया है। फ्लीट रिजर्व सर्विस को जारी रखने का विकल्प नहीं दिया जा सका इन आवेदकों और विभाग द्वारा समान रूप से नियुक्त नाविकों की 10 वर्ष या 15 वर्ष से कम की उनकी सूची अवधि समाप्त होने के बाद, जैसा भी मामला हो। यही कारण है कि ऐसे नाविकों को उनकी सक्रिय सेवा/सूची अवधि की समाप्ति पर छुट्टी दे दी गई थी। दूसरे शब्दों में, भारतीय नौसेना के फ्लीट रिजर्व प्रतिष्ठान को बंद करने के कारण, नीति दिनांक 3-7-1976 के संदर्भ में यह भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत को उस हद तक कम करने में मदद करता है।

XXX

XXX

36. इस प्रकार समझा गया कि 3-7-1976 से पहले नियुक्त किए गए सभी नाविक और जिनका प्रारंभिक सक्रिय सेवा/सूचीकरण अवधि समाप्त हो गई है। 3-7-1976 पर या उसके बाद विनियमन 95 के तहत विशेष पेंशन के लिए पात्र हो सकता है, हालांकि, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसमें, उन्होंने अनुबंध की समाप्ति पर निर्वहन लेने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया था (1957 अधिनियम की धारा 16 के अनुसार) और फिर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका मसौदा तैयार नहीं किया गया था और न ही किया जा सकता था।

फ्लीट रिजर्व सेवा डब्ल्यू. ई. एफ. 3-7-1976 को बंद करने की नीति के कारण। ऐसे नाविकों के मामलों (न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदकों तक सीमित नहीं) पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन महीने के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

संबंधित नाविक द्वारा आवेदन की तारीख से तीन साल पहले से "विशेष पेंशन" का अनुदान और रिहाई

उपदान का समायोजन करने के बाद भुगतान और

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपदान (डी. सी. आर. जी.) बकाया राशि से उन्हें पहले ही भुगतान किया जा चुका है। वे 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।

बकाया, भुगतान की तारीख तक "।

28. हम, इस प्रकार, प्रश्न नहीं का उत्तर देते हैं। 1 नकारात्मक में और मानते हैं कि अपीलकर्ता बेड़े के भंडार के 50 प्रतिशत को गिनने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे

उन्हें कभी भी उक्त रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था। नतीजतन, अपीलार्थी आरक्षित पेंशन के हकदार नहीं हैं। हालाँकि, उनके मामलों पर उसी तर्ज पर विशेष पेंशन देने के लिए विचार किया जाएगा जैसा कि टी. आर. दास के फैसले में किया गया था और उक्त फैसले के पैरा 36 में निर्देश दिया गया था।

प्रश्न संख्या 2-क्या आवेदक संख्या। 2 5 पेंशन उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों के बराबर व्यवहार किए जाने के हकदार थे, केवल इस आधार पर कि वे दोनों कारीगरों के एक ही सजातीय वर्ग से संबंधित हैं?

29. जहां तक प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों का संबंध है, उन्हें पेंशन मिल रही है और अपीलकर्ताओं का दावा है कि चूंकि कारीगर एक सजातीय वर्ग है, इसलिए चाहे वह प्रविष्टि प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद हो या यह एक सीधी प्रविष्टि (जैसा कि अपीलार्थियों के मामले में) हो, सभी कारीगरों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, तत्काल मामले में, हम इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या अपीलकर्ता केवल 10 साल की सेवा प्रदान करने के बाद भी सेवा पेंशन के लिए पात्र हैं (क्योंकि वे फ्लीट रिजर्व की किसी भी अवधि को गिनने के हकदार नहीं हैं जिसमें वे थे)।

कभी ड्राफ्ट नहीं किया)। क्या प्रशिक्षु कारीगरों को पूर्व नौसेना निदेशक प्रवेश कलाकार संगठन पर भी पेंशन मिली थी

& ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [ए. के. सिकरी, जे.]

10 वर्ष की सेवा प्रदान करने पर, अपीलार्थियों के तर्क में कुछ बल होता। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां तक प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों का संबंध है, उन्होंने नौसेना प्रतिष्ठान में 4 साल का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद, उन्हें आर्टिफिसर V के पद पर पदोन्नत किया गया और उनकी 10 साल की सक्रिय सेवा की शुरुआत हुई। पांचवीं कक्षा के कारीगर के पद पर एक वर्ष रहने के बाद, इन प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों को चौथी कक्षा में काम करने वाले कारीगर के पद पर पदोन्नत किया गया। उनके मामलों में, पेंशन के उद्देश्य के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने के लिए चार साल की प्रशिक्षण अवधि को गिना गया है। यह अनुज कुमार डे और अन्न मामले में इस अदालत के फैसले के अनुसार हुआ है। वी. भारत संघ & Ors.[3]. प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों के मामलों में, सरकार ने पेंशन के उद्देश्य के लिए अवधि की गणना करने से इनकार कर दिया था। इस अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या प्रशिक्षु कारीगरों पर खर्च की गई प्रशिक्षण अवधि को पेंशन उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। द.

अदालत ने अप्रेंटिस एंट्री आर्टिफिसर्स के पक्ष में सवाल का फैसला किया। इस प्रकार, ये प्रशिक्षु प्रवेश कारीगर सेवा के लिए प्रशिक्षण अवधि को शामिल करने पर पेंशन के हकदार बन गए। इसलिए, उनका मामला अपीलार्थी से पूरी तरह से अलग है जो प्रत्यक्ष प्रवेश कारीगर हैं।

और इस तरह के प्रशिक्षण से कोई लाभ नहीं हुआ। 30. अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि अनुज कुमार डे ने सही कानून निर्धारित नहीं किया है।

पेंशन के लिए योग्यता अवधि की गणना के लिए प्रशिक्षण अवधि की गणना नहीं की जा सकती थी। हालाँकि, यह अपीलार्थियों के लिए इस तरह का तर्क उठाने के लिए खुला नहीं है। सबसे पहले, यह तर्क अपीलार्थियों के लाभ को सुनिश्चित नहीं करेगा क्योंकि यह उन्हें किसी भी मामले में पेंशन का हकदार नहीं बनाएगा। भले ही अपीलार्थियों के तर्क को सही माना जाता है, लेकिन इसका एकमात्र प्रभाव यह होगा कि प्रशिक्षु प्रविष्टि भी मान्य हो। कारीगर पेंशन के हकदार नहीं हैं। हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अपनी दलील में स्पष्ट कहा था कि वह नहीं चाहते थे कि प्रशिक्षु प्रवेश कारीगरों को उनकी पेंशन से वंचित किया जाए। दूसरा, किसी भी मामले में, प्रशिक्षु प्रविष्टि कारीगरों की अनुपस्थिति में, इस तरह के तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है। तीसरा, अनुज कुमार डे में निर्धारित कानून

20 साल से अधिक समय से दायर किया गया है और परेशान होने का कोई कारण नहीं है

एक ही। इन सभी कारणों से, हम विवाद को अस्वीकार करते हैं और प्रश्न संख्या का उत्तर देते हैं। (2) अपीलार्थियों के विरुद्ध। 3 (1997) 1 एससीसी 366 396

31. नतीजतन, इस अपील को खारिज कर दिया जाता है जहां तक कि

ए.

आरक्षित पेंशन के लिए दावा संबंधित है। हालाँकि, विशेष पेंशन के अनुदान के लिए उनके मामलों पर ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

बी.

निधि जैन